<u>प्रेस नोट दिनांक 24.10.2024</u>
<u>थाना शाही जनपद बरेली।</u>

<u>थाना शाही बरेली पुलिस द्वारा थाना शाही पर पंजीकृत मु0अ0सं0 312/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से संबंधित 03 अभियुक्तों को चोरी हुए सामान सहित किया गया गिरफ्तार।</u>

प्रार्थिनी मोबीन पत्नी कासिम ग्राम नगरिया कलां थाना शेरगढ़ द्वारा थाना पर सूचना दी कि दिनांक 22/9/2024 को समय करीब 3:00 बजे दिन में वह अपने पति कासिम के साथ नगरिया से गांव के ही तरूण पुत्र हरीओम के ई-रिक्शा में शाही आने के लिये बैठे। वादिनी ने अपना काले रंग का बैग जिसमें जेवर, रूपये, कपडे व मोबाइल था के ई-रिक्शा से चोरी हो जाने के संबंध में थाना पर सूचना दी। इस संबंध में थाना शेरगढ़, बरेली पर मु0अ0सं0 312/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

थानाध्यक्ष शाही द्वारा मुखबिर की सूचना पर मय टीम के थाना शाही पर पंजीकृत मु0अ0सं0 312/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्तगण 01. नन्हे पुत्र पूरन लाल निवासी ग्राम धीमनी थाना भोजीपुरा जिला बरेली उम्र करीब 47 वर्ष 02. हरिओम पुत्र भूपराम निवासी ग्राम नगरियां कलां थाना शेरगढ़ जिला बरेली उम्र करीब 46 वर्ष 03. सुनील रस्तोगी पुत्र रमेश चन्द निवासी कस्बा धौरा टांडा थाना भोजीपुरा जिला बरेली उम्र करीब 40 वर्ष को एक झूमर सोने का, एक टीका सोने का, एक टीप सोने का, एक अंगुठी सोने की, एक जोडी झुमकी सोने की, एक नथनी सोने की, एक पेंडिंल सोने का, एक जोडी पाजेव चांदी की, एक अंगुठी चांदी की व एक लाख रूपये नकद सहित थाना शाही क्षेत्रांतर्गत नारा फरीदापुर से आज दिनांक 24.10.2024 को समय करीब 06.41 बजे सुबह गिरफ्तार किया गया। वांछित अभियुक्तगण 01. जीतू पुत्र नन्हे निवासी ग्राम धीमनी थाना भोजीपुरा जिला बरेली 02. वीरपाल पुत्र हेमराज निवासी ग्राम धीमनी थाना भोजीपुरा जिला बरेली की तलाश की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तो को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता का विवरण-</u>

01. नन्हे पुत्र पूरन लाल निवासी ग्राम धीमनी थाना भोजीपुरा जिला बरेली उम्र करीब 47 वर्ष
02. हरिओम पुत्र भूपराम निवासी ग्राम नगरियां कलां थाना शेरगढ़ जिला बरेली उम्र करीब 46 वर्ष
03. सुनील रस्तोगी पुत्र रमेश चन्द निवासी कस्बा धौरा टांडा थाना भोजीपुरा जिला बरेली उम्र करीब 40 वर्ष

<u>वांछित अभियुक्तों का विवरण –</u>

01. जीतू पुत्र नन्हे निवासी ग्राम धीमनी थाना भोजीपुरा जिला बरेली
02. वीरपाल पुत्र हेमराज निवासी ग्राम धीमनी थाना भोजीपुरा जिला बरेली

<u>बरामदगी –</u>

01. एक लाख रूपये नकद ।
02. एक अदद झूमर, टीका, टीप, अंगुठी, झमकी, नथनी व पेंडिल सोने का (अनुमानित कीमत 3 लाख पचांस हजार रुपये)
03. एक जोडी पाजेव चांदी की, एक अदद अंगुठी चांदी की (अनुमानित कीमत 3 हजार रुपये)
04.वादिनी के चोरी किये हुए बैग काले रंग, एक मोबाइल चार्ज, लैडिंज पर्स, बच्चो के कपड़े एवं महिला के कपड़े

पूछताछ-

दिनांक 22.09.2024 को अभियुक्त हरिओम का पुत्र राहुल ई-रिक्शा से सवारी लेकर शाही आया था। जब वह घर वापस लोट कर गया तो ई रिक्शा पर एक बैग काले रंग का रखा मिला। अभियुक्त हरिओम चुपचाप अपने घर में उस बैग को अन्दर ले जाकर खोल कर देखा तो बैग में सोने चांदी के जेबरात व एक मोबाईल सैमसंग कीपैड वाला व चार्जर व एक लैडीज पर्स व बच्चो एवं महिलाओ के कपड़े मिले थे। जेबर मे एक झूमर सोने का व एक टिका सोने का व एक टीप सोने की एक अंगूठी सोने की एक जोड़ी झुमकी सोने की एक नथनी सोने की एक पैंडिल सोने का एक जोड़ी पाजेब चांदी की व एक अंगूठी चादी की मिली थी। हरिओम ने अपने साले नन्हे पुत्र पूरन लाल नि0 ग्राम धीमनी थाना भोजीपुरा जिला बरेली को बताया था। हरिओम व नन्हे व नन्हे का लड़का जीतू व वीरपाल पुत्र हेमराज नि0 गण ग्राम धीमनी थाना भोजीपुरा जनपद बरेली उक्त सामान बेचने के लिए पूर्व से बात कर सुनहार सुनील रस्तोगी पुत्र रमेश चन्द्र रस्तोगी नि0 मो0 होली चौक कस्बा धोरा टाण्डा थाना भोजीपुरा जनपद बरेली को पूर्व प्लानिंग के तहत बेचने के लिए आये थे। सेमसंग का मोबाईल कीपेड वाला पुलिस के पकडे जाने की डर से तोडकर नदी में फेंक दिया था। अभियुक्तों द्वारा तय किया था कि सुबह के समय शाही के आस पास मिलेंगे। इसी के तहत सब लोग नारा फरीदपुर को जाने वाले रोड के पास शाही अमौर रोड पर यात्री शैड में इक्कट्ठे हुए थे। आज दिनांक 24.10.2024 को अभियुक्तगण नन्हे व हरिओम द्वारा एक झुमर सोने का, एक टीका सोने का, एक टीप सोने का, एक पैंडिल सोने का, एक अंगूठी सोने की एक जोड़ी झुमके सोने के एक नथनी सोने ज्वैलर्स सुनील रस्तोगी को बेचे थे। बेचे हुए सामान के सम्बन्ध मे दोनों अभियुक्तों के पास से 50000-50000 रूपये, बरामद बैग काले रंग का जिसमे एक मोबाइल चार्ज व लैडिंज पर्स व बच्चो के कपड़े एवं महिला के कपड़े बरामद हुए है। तथा ज्वैलर्स सुनील उपरोक्त ने भी इस बात का इकवाल किया कि इन लोगो ने ही जेबरात बेचे है, जो आज मुझसे बरामद हुए है तथा जीतू पुत्र नन्हे नि0 ग्राम धीमनी व वीरपाल पुत्र हेमराज नि0 गण ग्राम धीमनी थाना भोजीपुरा जिला बरेली ने भी उसी समय एक जोड़ी पाजेब चांदी की एक अंगूठी चांदी की 14500/ रूपये में बेची है। जो पैसे लेकर भाग गये है। अभियुक्त सुनील रस्तोगी द्वारा खरीदी गयी एक जोड़ी पाजेब व अंगूठी चांदी बरामद हुए है। नामित राहुल पुत्र हरिओम कि नामजदगी झूठी पायी गयी है।

पुलिस टीम –

01.थानाध्यक्ष श्री अमित कुमार थाना शाही जिला बरेली
02. व0उ0नि0 दलीप कुमार थाना शाही जिला बरेली
03. उ0नि0 अख्तर अली थाना शाही जिला बरेली
04. उ0नि0 दिनेश कुमार थाना शाही जिला बरेली
05. हे0का0 841 कुंवरपाल सिंह थाना शाही जिला बरेली
06. का0 2869 अंकित पंवार थाना शाही जिला बरेली
07. का0 3055 अजीत मलिक थाना शाही जिला बरेली